प्रारंभिक परीक्षा

प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना (PMUY)

संदर्भ

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) ने 1 मई, 2025 को अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए, जो भारत भर में गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के बारे में -

- **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG)** द्वारा लॉन्च किया गया।
- **इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन (LPG) उपलब्ध कराना है।**
    - अशुद्ध खाना पकाने वाले ईंधन के उपयोग से होने वाली मौतों को कम करना।
    - घर के अंदर वायु प्रदूषण के कारण बच्चों में होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियों को रोकना।

Categories of eligible households:

- Households listed in the SECC 2011 list.
- Households belonging to Scheduled Castes (SC) or Scheduled Tribes (ST).
- Beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural).
- Beneficiaries of Antyodaya Anna Yojana (AAY).
- Forest Dwellers.
- Most Backward Classes (MBC).
- Tea and Ex-Tea Garden Tribes.
- People residing in river islands or islands.

- **बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता।**
- **उज्ज्वला 2.0** के तहत लाभार्थियों को यह भी मिलेगा:
    - एक निःशुल्क रिफिल,
    - एक हॉटप्लेट, और
    - जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन।
- पात्र परिवारों को निःशुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन।

कार्यान्वयन के चरण -

चरण I (2016-2020):

- **1 मई 2016 को लॉन्च** किया गया।
- मार्च 2020 तक **8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन** जारी हुए।
- **परिणाम**: अप्रैल 2021 तक **एलपीजी कवरेज 62%** से **बढ़कर 99.8% हो** गया।

उज्ज्वला 2.0 (2021 से आगे):

- **केंद्रीय बजट 2021-22** में घोषित किया गया।
- **प्रारंभिक लक्ष्य:** मार्च 2022 तक **1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन।**
- **जनवरी 2022** में हासिल किया गया।
- बाद में, 60 लाख अतिरिक्त **कनेक्शन** स्वीकृत किये गये।
- **31 दिसंबर 2022** तक उज्ज्वला 2.0 के तहत **1.6 करोड़ कनेक्शन जारी** किए गए।

स्रोत: PIB

क्रॉपिक पहल(CROPIC Initiative)

संदर्भ

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय क्रॉपिक नामक पहल शुरू करने जा रहा है, जो खेतों की तस्वीरों के माध्यम से फसल डेटा एकत्र करने और AI-आधारित मॉडल का उपयोग करके इसका विश्लेषण करने की पहल है।

क्रॉपिक पहल के बारे में -

- क्रॉपिक या CROPIC का पूरा नाम है: Collection of Real-Time Observations & Photo of Crops (फसलों का वास्तविक समय में अवलोकन और फोटो का संग्रह)।
- **यह पहल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत शुरू की गई है।**
- **इसका उद्देश्य फसल की स्वास्थ्य स्थिति और तनाव की निगरानी करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एवं कंप्यूटर विज़न तकनीकों की मदद से फसल क्षति का आकलन स्वचालित करना है।**
- प्रत्येक फसल चक्र में 4 से 5 बार फ़ोटो ली जाएंगी ताकि फसल की स्थिति का मूल्यांकन और मध्य-सीजन क्षति का पता लगाया जा सके।
- इन फ़ोटोज का विश्लेषण कंप्यूटर विज़न और फोटो-एनालिटिक मॉडलों के माध्यम से किया जाएगा।
- इसकी प्रारंभिक शुरुआत खरीफ 2025 और रबी 2025–26 सत्रों में की जाएगी।
- कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित CROPIC मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों से सीधे फ़ोटोज ली जाएंगी।
- यह ऐप बीमा दावों के सत्यापन के दौरान अधिकारियों द्वारा भी उपयोग किया जाएगा।
- **क्लाउड-आधारित एआई प्लेटफ़ॉर्म** इन फ़ोटो का विश्लेषण करेगा और निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त करेगा:
    - फसल का प्रकार
    - वृद्धि की अवस्था
    - क्षति और उसकी तीव्रता
- एक **वेब-आधारित डैशबोर्ड** इन आंकड़ों को **दृश्य रूप में प्रस्तुत** करेगा जिससे नीति निर्धारण और निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
- यह पहल प्रत्येक सत्र में **कम से कम 50 जिलों** में लागू की जाएगी, जो **विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों** को कवर करेगी।
- हर जिले में यह **तीन प्रमुख अधिसूचित फसलों** (जो बीमा के तहत आती हैं) पर केंद्रित होगी।
- इस पहल का वित्त पोषण **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (FIAT)** के माध्यम से किया जाएगा।

स्रोत: IndianExpress

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट(Global Gender Gap Report)

संदर्भ

हाल ही में WEF द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट 2025 जारी की गई।

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट 2025 -

- **विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रकाशित।**
- भारत **148** देशों में से **131**वें स्थान पर है, जो **2024** में **129**वें स्थान से दो पायदान नीचे खिसक गया है।
- **समता स्कोर:** 64.1%, जो भारत को **दक्षिण एशिया में सबसे निचले स्थान पर रखता है**।

आयाम के अनुसार भारत का प्रदर्शन -

आर्थिक भागीदारी और अवसर

- स्कोर 0.9 प्रतिशत अंक बढ़कर 40.7% हो गया।
- महिलाओं की अर्जित आय समता 28.6% से बढ़कर 29.9% हो गयी।
- श्रम बल भागीदारी 45.9% पर स्थिर बनी हुई है।

शिक्षा प्राप्ति

- 97.1% अंक के साथ लगभग समानता प्राप्त की।
- बेहतर महिला साक्षरता और उच्चतर तृतीयक नामांकन द्वारा प्रेरित।

स्वास्थ्य और जीवन रक्षा

- जन्म के समय लिंग अनुपात में बेहतर समानता और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा।
- जीवन प्रत्याशा में समग्र गिरावट सार्थक लाभ को संतुलित कर देती है।

राजनीतिक सशक्तिकरण

- महिलाओं का संसदीय प्रतिनिधित्व 14.7% से घटकर 13.8% हो गया।
- मंत्रिस्तरीय भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या 6.5% से घटकर 5.6% रह गयी।
- गिरावट का दूसरा वर्ष है; 2019 के 30% के शिखर से बहुत दूर।

क्षेत्रीय तुलना (दक्षिण एशिया)

- **बांग्लादेश**: सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता, **विश्व स्तर पर 24वें स्थान पर।**
- **नेपाल (125)**, **भूटान (119)**, **श्रीलंका (130)** – सभी भारत से आगे हैं।
- केवल **मालदीव (138)** और **पाकिस्तान (148) ही** भारत से नीचे हैं।
- **शीर्ष 5 देश**:
    1. आइसलैंड (16वें वर्ष प्रथम)
    2. फिनलैंड
    3. नॉर्वे
    4. यूनाइटेड किंगडम
    5. न्यूज़ीलैंड
- **वैश्विक लैंगिक अंतराल 68.8% तक कम हुआ, महामारी के बाद सबसे मजबूत प्रगति।**
- **वर्तमान दर पर, पूर्ण समता प्राप्त करने में 123 वर्ष लगेंगे।**
- महिलाएं कार्यबल का 41.2% हिस्सा बनाती हैं, लेकिन नेतृत्व की भूमिका में केवल 28.8% ही हैं।

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक:

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक चार प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है:

- आर्थिक भागीदारी और अवसर
- शैक्षणिक उपलब्धि
- स्वास्थ्य और अस्तित्व
- राजनीतिक सशक्तिकरण

यह सूचकांक मापता है कि इन आयामों में लैंगिक अंतराल कितना व्यापक या संकीर्ण है और समय के साथ लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश की प्रगति की निगरानी करता है।

विश्व आर्थिक मंच क्या है?

- **विश्व आर्थिक मंच (WEF) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जो सार्वजनिक-निजी सहयोग पर केंद्रित है।**
- **स्थापना:** जनवरी **1971 में** जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री **क्लॉस श्वाब द्वारा।**
- **उद्देश्य:** वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए राजनीति, व्यवसाय, संस्कृति और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाना।
- **WEF के पास कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है।**
- **मुख्यालय:** कोलोग्नी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें -

- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट
- वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
- वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट
- वित्तीय विकास रिपोर्ट
- वैश्विक सक्षम व्यापार रिपोर्ट

स्रोत: TheHindu

दुर्लभ मृदा तत्व (REE)

संदर्भ

भारत दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs) की घरेलू खनन और परिष्करण (शोधन) क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

REE क्या हैं?

- वे आवर्त सारणी में रासायनिक रूप से समान 17 धातु तत्वों का एक समूह हैं।
- वे दुर्लभ हैं क्योंकि वे कम सांद्रता में पाए जाते हैं और अन्य खनिजों के साथ मिश्रित होते हैं।

SEVENTEEN RARE EARTH ELEMENTS

Rare earth name	Discovery year	Atomic name & number	Light/heavy REE	Critical/ Uncritical
Yttrium	1788	Y-39	Heavy	Critical
Cerium	1803	Ce-58	Light	Excessive
Lanthanum	1839	La-57	Light	Uncritical
Erbium	1842	Er-68	Heavy	Critical
Terbium	1843	Tb-65	Heavy	Critical
Ytterbium	1878	Yb-70	Heavy	Excessive
Holmium	1878	Ho-67	Heavy	Excessive
Scandium	1879	Sc-21	Heavy	Critical
Samarium	1879	Sm-62	Light	Uncritical
Thulium	1879	Tm-69	Heavy	Excessive
Praseodymium	1885	Pr-59	Light	Uncritical
Neodymium	1885	Nd-60	Light	Critical
Dysprosium	1886	Dy-66	Heavy	Critical
Europium	1886	Eu-63	Heavy	Critical
Gadolinium	1886	Gd-64	Heavy	Uncritical
Lutetium	1907	Lu-71	Heavy	Excessive
Promethium	1947	Pm-61		

Source: Author

The Print

- **विशेषताएँ:** उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, उच्च चालकता, और उच्च तापीय चालकता।
  - ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। ये खनिज ऑक्साइड अयस्कों में पाए जाते हैं।
- **उपयोग:**
  - **इलेक्ट्रॉनिक्स:** स्मार्टफोन (नियोडिमियम), लैपटॉप, फ्लैट पैनल डिस्प्ले और हेडफोन में।
  - **स्वच्छ ऊर्जा (जैसे डिस्प्रोसियम, इट्रियम और सेरियम):** पवन टर्बाइनों, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और सौर पैनलों में।
  - **रक्षा क्षेत्र**: सटीक निर्देशित मिसाइलों, रडार प्रणालियों, सोनार और जेट इंजनों में उपयोग किया जाता है।
  - **चिकित्सा प्रौद्योगिकी:** विकिरण-आधारित कैंसर उपचारों में उन्नत इमेजिंग उपकरणों को सक्षम करना, जैसे कि एमआरआई और पीईटी स्कैनर।
  - **औद्योगिक उपयोग:** पेट्रोलियम शोधन, उच्च श्रेणी के कांच पॉलिशिंग, और मजबूत, संक्षारण प्रतिरोधी धातु मिश्र धातुओं का उत्पादन।
- **वितरण:**

- **चीन विश्व की लगभग 60% आपूर्ति का उत्पादन करता है तथा लगभग 90% का प्रसंस्करण करता है।**
  - अन्य प्रमुख उत्पादक म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और मलेशिया हैं।
- **भारत अधिकांश दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए लगभग 100% आयात पर निर्भर है, हालांकि विश्व के दुर्लभ मृदा भंडार का लगभग 6% हिस्सा इसके पास है।**

स्रोत: **Indian Express**

समाचार संक्षेप में

हिन्द-प्रशांत औद्योगिक लचीलेपन के लिए साझेदारी (PIPIR)

समाचार? 31 मई, 2025 को सिंगापुर में शांगरी-ला वार्ता में अपने मुख्य भाषण के दौरान, अमेरिकी सचिव हेगसेथ ने PIPIR का समर्थन किया और इस पहल के तहत दो प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा की।

PIPIR के बारे में -

- **स्थापना तिथि:** मई 2024
- **इसमें** हिन्द-प्रशांत और यूरो-अटलांटिक साझेदारों के 14 देश शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** रक्षा विनिर्माण, रसद और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सामूहिक लचीलापन बढ़ाना।
- **नेतृत्व:** अमेरिकी रक्षा विभाग।

स्रोत:https://media.defense.gov/2025/Jun/02/2003730341/-1/-1/1/FACT-SHEET-PARTNERSHIP-FOR-INDO-PACIFIC-INDUSTRIAL-RESILIENCE.PDF

मेट्टूर बांध

समाचार? कुरुवई (धान की एक अल्पकालिक फसल) की खेती को बढ़ावा देने के लिए डेल्टा सिंचाई हेतु मेट्टूर बांध का पानी छोड़ा गया।

इसके बारे में -

- **भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक, 1934** में निर्मित।
- **स्थान:** मेट्टूर, सलेम जिला, तमिलनाडु।
- **निर्मित:** एक घाटी जहां **कावेरी नदी** मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है।
- **प्रकार:** चिनाई गुरुत्वाकर्षण बांध

स्रोत: TheHindu

समाचार में स्थान

शेंगेन क्षेत्र

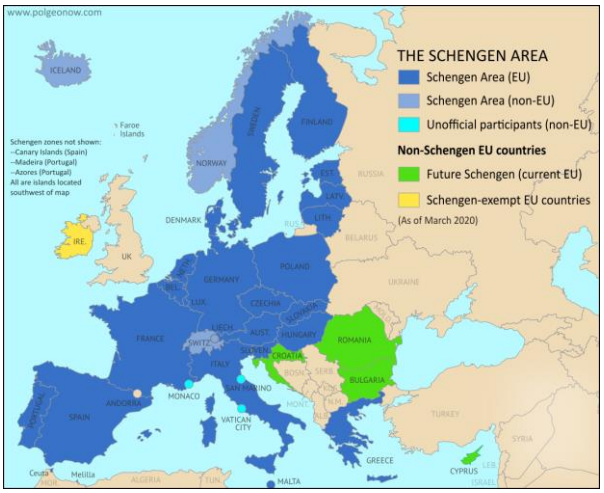

खबर? भारत में फ्रांसीसी दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी ने वीजा आवेदकों से 45 लाख रुपये तक की ठगी की; सीबीआई ने मामला दर्ज किया और इंटरपोल ने उसके खिलाफ अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया।

इसके बारे में

- **शेंगेन क्षेत्र का नाम शेंगेन के नाम पर रखा गया है, जो लक्ज़मबर्ग में फ्रांस और जर्मनी की सीमाओं के पास स्थित एक छोटा सा गांव है।**
- **शेंगेन समझौते पर 1985** में **छह संस्थापक यूरोपीय संघ सदस्यों** (बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड - इटली को छोड़कर) में से पांच ने हस्ताक्षर किए थे।
- **यह एक सामान्य वीज़ा नीति के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एकल क्षेत्राधिकार के रूप में कार्य करता है।**
- आज इस क्षेत्र में **29 यूरोपीय देश शामिल हैं**।
  - क्रोएशिया (2013 से यूरोपीय संघ का सदस्य) 2023 में शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया।
  - रोमानिया और बुल्गारिया 31 मार्च 2024 को शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने वाले नवीनतम देश हैं।

स्रोत: TheHindu

संपादकीय सारांश

न्यायिक जवाबदेही और स्वतंत्रता के बारे में चिंताएँ

संदर्भ

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा मामले (उनके आवास से जले हुए नोटों की बरामदगी) ने न्यायिक जवाबदेही और स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई -

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा एक आंतरिक जांच समिति गठित की गई थी।
- उनसे न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया; उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया (परन्तु उन्हें कोई रोस्टर नहीं दिया गया)।
- जांच में गंभीर कदाचार पाया गया और मुख्य न्यायाधीश ने महाभियोग की सिफारिश की।
- कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और आपराधिक कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं हुई है।

प्रासंगिक संवैधानिक और कानूनी प्रावधान -

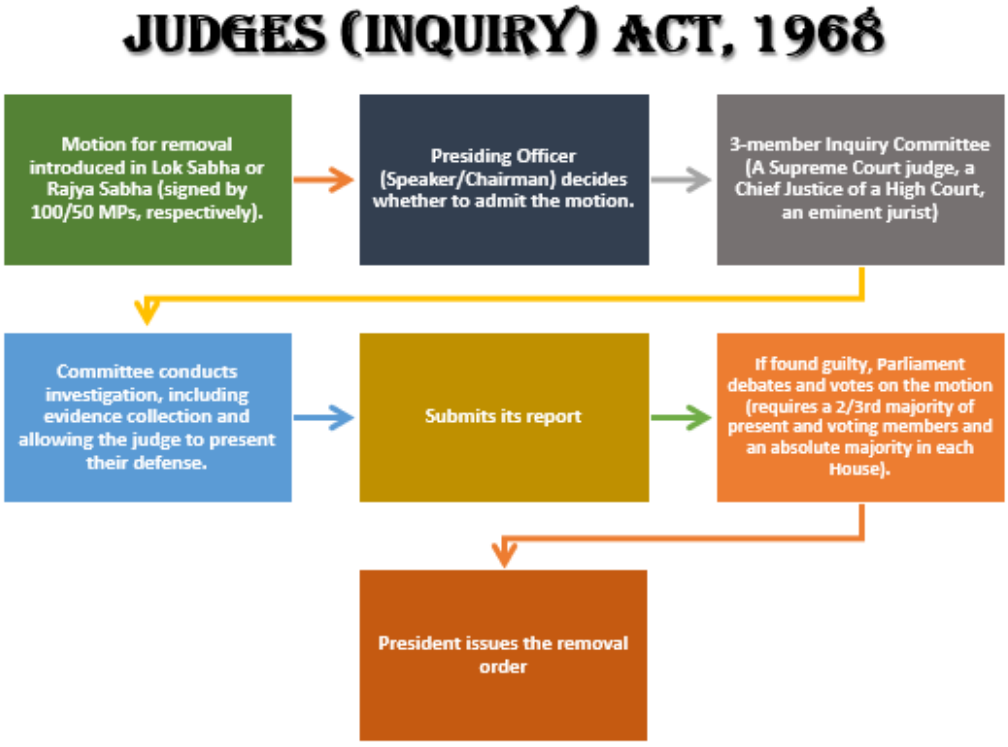

Points To Remember

- **Applies to** the **judges of the Supreme Court** (including the Chief Justice of India) and **the High Courts** (including Chief Justice).
- The **motion for removal must be signed by**: At least **100 members of the Lok Sabha** or At least **50 members of the Rajya Sabha.**

- **अनुच्छेद 124(4) एवं 217**: सिद्ध दुर्व्यवहार/अक्षमता के लिए महाभियोग द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है।
- **न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968**: जांच और महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

- **के. वीरास्वामी केस (1991)**: उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने या कोई जांच शुरू करने से पहले, पुलिस को **भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से परामर्श करने के बाद भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेनी होगी।**
- **बीएनएस 2023 (धारा 173-176)**: पुलिस को अपराध स्थल के साक्ष्य को संरक्षित करने और संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है।

जांच प्रक्रिया में खामियां -

- मजबूत सबूत के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई - जली हुई मुद्रा को संरक्षित नहीं किया गया था।
- पुलिस ने अपराध स्थल को सील नहीं किया, जो कि बीएनएस नियमों का उल्लंघन था।
- आंतरिक जांच के पास कोई वैधानिक शक्ति नहीं है - यह आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती।
- रिपोर्ट को जनता और संसद के साथ साझा करने में पारदर्शिता का अभाव।

न्यायिक जवाबदेही के बारे में चिंताएँ -

- **अपारदर्शी आंतरिक तंत्र:** आंतरिक जांच प्रणाली में वैधानिक समर्थन का अभाव है। यह पारदर्शी नहीं है, सार्वजनिक पहुंच की अनुमति नहीं देता है, और आंतरिक अनुशासन से परे कोई प्रवर्तनीयता नहीं है।
- **कोई स्वतंत्र निरीक्षण निकाय नहीं:** न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें सांसदों या मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से भेजी जाती हैं। न्यायिक लोकपाल या परिषद जैसा कोई बाहरी या नागरिक-सुलभ तंत्र नहीं है।
- **कठिन निष्कासन प्रक्रिया:** अनुच्छेद 124(4) और 217 के तहत महाभियोग राजनीतिक रूप से इतना जटिल है कि गंभीर आरोपों के बावजूद **किसी भी न्यायाधीश को कभी नहीं हटाया गया है।**
- **कोई अनिवार्य परिसंपत्ति प्रकटीकरण या लेखा-परीक्षण नहीं:** यद्यपि न्यायाधीश स्वैच्छिक परिसंपत्ति प्रकटीकरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इनका **लेखा-परीक्षण नहीं किया जाता है या इन्हें लागू नहीं किया जाता है** - जिससे वित्तीय ईमानदारी में जनता का विश्वास कम होता है।
- **कदाचार के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई का अभाव:** कई उदाहरणों में (जैसे, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, न्यायमूर्ति पी.डी. दिनाकरन), कदाचार सिद्ध होने के बाद भी, या तो कोई कार्रवाई नहीं की गई या न्यायाधीशों ने हटाए जाने से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया।

न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में चिंताएँ -

- **कार्यपालिका का हस्तक्षेप:** नियुक्तियों, स्थानांतरणों या सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के माध्यम से, कार्यपालिका न्यायाधीशों पर सूक्ष्म दबाव डाल सकती है - विशेष रूप से संवेदनशील मामलों में।
- **कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव:** यद्यपि यह कार्यपालिका के अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन कॉलेजियम बिना किसी औपचारिक मानदंड, रिकॉर्ड या कारण के कार्य करता है - जिससे निष्पक्षता और योग्यता पर चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- **मीडिया एवं राजनीतिक दबाव:** सनसनीखेज मीडिया ट्रायल और राजनीतिक आख्यान उच्च-स्तरीय मामलों में न्यायाधीशों को प्रभावित या भयभीत कर सकते हैं।
- **दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से कोई सुरक्षा नहीं:** उचित सुरक्षा उपायों के अभाव में, यह भय बना रहता है कि न्यायाधीशों को उनके निर्णयों के लिए निशाना बनाया जा सकता है, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में।
- **बिना किसी कारण के बार-बार स्थानांतरण:** न्यायाधीशों को कथित तौर पर उनके फैसलों के कारण कार्यकाल के बीच में ही स्थानांतरित कर दिया गया (उदाहरणार्थ, न्यायमूर्ति मुरलीधर मामला) - जिससे निर्णय संबंधी स्वायत्तता को खतरा पैदा हो गया।

क्या किया जाने की जरूरत है -

- **कदाचार से स्वतंत्र रूप से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद (5 न्यायाधीशों + अध्यक्ष के रूप में CJI के साथ) की स्थापना करना। (भारत के विधि आयोग ने अपनी 195वीं रिपोर्ट में इसकी अनुशंसा की है)।**

- FIR अनुरोधों पर CJI को समय-सीमा में जवाब देने की अनुमति देने के लिए वीरस्वामी फैसले में संशोधन करना।
- अपराध-स्थल सुरक्षा कानूनों को मजबूत करना - यहाँ तक कि न्यायाधीशों को भी साक्ष्य नियमों से ऊपर नहीं होना चाहिए।
- न्यायिक संपत्ति घोषणाओं को सार्वजनिक और सत्यापन योग्य बनाना।
- महाभियोग रिपोर्टों पर कार्रवाई करने के लिए संसद के लिए निश्चित समय-सीमा लागू करना।

स्रोत: **Indian Express: Best of Both Sides**